

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 162/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 खेमा पिता लादू माली उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

..... प्रार्थी

बनाम

- 1 केदार पिता राधाकिशन माली उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 2 रतनी पुत्री राधाकिशन माली उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 3 रामघणी पुत्री राधाकिशन माली उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 4 रामधन पिता राधाकिशन माली उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 5 जगदीश पिता मांगीलाल माली उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 6 भैरू पिता मांगीलाल माली उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 7 भागचन्द पिता कालूराम माली उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 8 शंकर पिता कालूराम माली उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 9 मान्यादेवी पत्नि रामनिवास माली उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 10 मोहन पिता सुखा माली उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 11 राजी पत्नि रामनाथ माली उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 12 लाली पुत्री रामनाथ माली उम्र-वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 13 शाखा प्रबन्धक, बी.ओ.आर शाखा फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 14 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा
- 15 भूमिधार, तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन


उपस्थित :- श्रीमती मदीना बानू—वकील प्रार्थी

श्री सुनील कुमार शर्मा — अप्रार्थी संख्या 01, 03, 05, 06, 10, 11
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां उपस्थित

निर्णय

दिनांक 08.06.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 27.12.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा फूलियाकलां पटवार मण्डल क्षेत्र फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 216 के आराजी संख्या 1718 रकबा 0.63 हैक्ट. प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई रथाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से पड़ोसीयों से मिन्नत करके अपने खातेदारी तक पहुंचना पड़ता है। —————


उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां, जिला-भीलवाड़ा

—प्रार्थी वर्षों से अप्रार्थीगण संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी खसरे में से होकर आते जाते रहे हैं, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षीगण की आराजी संख्या 1916 की मेड के सहारे-सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहुंच हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 12 के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 1916 भूमि की मेड के सहारे-सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 27.12.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, दलील/वजह प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 03, 05, 06, 10, 11 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया परन्तु विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाने से प्रस्तुतिकरण जवाब का अवसर समाप्त किया गया। शेष रहे विपक्षीगण के विरुद्ध गैर अनुपालन की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रार्थी के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बतौर बहस अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र की समस्त कलमों को दोहराते हुए, प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि—

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :- प्रार्थी के पास अपनी सहखातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है एवं न ही अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद है।
2. रिपोर्ट तहसीलदार में भी यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के निर्बाध आवागमन हेतु सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट में यह तथ्य प्रमाणित है कि मौजा फूलियाकलां स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 1916 रकबा 0.62 में से 0.0200 हैक्टे. (40 मीटर गुणा 5 मीटर/200 वर्गमीटर) भूमि ही नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को केवल 5 मीटर चौड़ाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए हैं। फिर भी अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा/क्षति हो इस दृष्टिकोण से 5 मीटर के स्थान पर 4.5 मीटर नवीन रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक मानता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप ऐसा कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करे कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को कोई भारी क्षति होगी।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

(3)

प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये 20 फिट चौड़े रास्ते के मुकाबले अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा/क्षति हो तथा कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस पर मनन करने के पश्चात मौजा फूलियाकलां स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 1916 रकबा 0.62 में से 0.0180 हैक्टे. (40 मीटर गुणा 4.5 मीटर/180 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय उचित मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम फूलियाकलां पटवार मण्डल फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 1916 रकबा 0.62 में से 0.0180 हैक्टे. (40 मीटर गुणा 4.5 मीटर/180 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल-दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 1916 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0180 हैक्टेयर मालियत राशि की तीन गुना राशि कुल 15,348/-रूपये (0.0180 हैक्टेयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावेगी/जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 08.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला

जिससखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां, जिला-भीलवाड़ा